# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

**Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in**


पत्रांकः 767/सो.आ.नि.–312/2016
दिनाँकः 11 फरवरी, 2016

प्रेषक,

**निदेशक,**
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

**समस्त जिला विकास अधिकारी,**
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

**विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में कराए गए कार्यों के सोशल आडिट हेतु जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के यात्रा–व्यय की प्रतिपूर्ति।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014–15 में कराए गए कार्यों के सोशल आडिट हेतु निदेशालय द्वारा जारी कैलेण्डर के अनुसार आपके जनपद में सोशल आडिट की प्रक्रिया चल रही है। निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ जनपद में उपलब्ध एक–एक ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर नामित किया जाएगा जो लगातार टीम के साथ रहेगा।

2. ज्ञातव्य है कि सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को अपने विकास खण्ड और जनपद मुख्यालय की यात्राओं के लिए रु0 2,000/– का नियत यात्रा–भत्ता मानदेय के साथ ही भुगतानित किया जाता है। अतः सोशल आडिट के लिए, जिस विकास खण्ड में वे इंगेज किए गए हैं, उससे भिन्न विकास खण्डों की यात्राओं के लिए उन्हें यात्रा–व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, भिन्न विकास खण्ड में सोशल आडिट के लिए जाने और वापसी के लिए ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को एक बार का रेल या बस की साधारण श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा। यदि सम्बन्धित जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा अपने ब्लाक से भिन्न ब्लाक में सोशल आडिट के कार्य हेतु वास्तव में रात्रि निवास किया गया हो तो उसे प्रतिदिन रु0 120/– की दर से भोजन तथा रुकने की व्यवस्था आदि के लिए अतिरिक्त रूप से अनुमन्य होगा।

3. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार सम्बन्धित जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर से बिल प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त संतुष्ट होते हुए यात्राएँ एवं ठहराव अवधि सत्यापित करते हुए प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि का मांगपत्र संकलित रूप में प्रेषित करने का कष्ट करें। कृपया उक्त मांगपत्र 31 जनवरी, 2016 तक किए गए सोशल आडिट के सम्बन्ध में 29 फरवरी, 2016 तक तथा शेष यात्राओं के सम्बन्ध में 20 मार्च, 2016 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**भवदीय,**

**(राजवर्धन)**
निदेशक।

Arun 2016

पत्रांकः– 767 (1) / सो0आ0नि0– 312 / 2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(राजवर्धन)
निदेशक।